राजस्थान विधान सभा सचिवालय

:अधिसूचना:

संख्या: एफ11(6) /संस्था/विस/2005-2012 जयपुर, दिनांक 22 मार्च, 2012

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा – 4-1(बी) के तहत मैन्युअल

बिन्दु संख्या 1 – संगठन की विशिष्टतायें, कृत्य एवं कर्तव्य

राजस्थान को पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था जिसमें 22 छोटी-बड़ी रियासतें थीं। यद्यपि 15 अगस्त, 1947 को ही समस्त रियासतें भारतीय संघ से सम्बन्धित घोषित हो चुकी थीं किन्तु भारत में समस्त रियासतों के विलय और इनके एकीकरण की प्रक्रिया पाँच चरणों में वर्ष 1949 के माह अप्रैल तक पूरी हुई।

विलय के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिलाकर किया गया और इसका उदघाटन 17 मार्च, 1948 को हुआ। राजस्थान संघ, जिसमें बांसवाड़ा, बूँदी, डूँगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक एवं कोटा सम्मिलित थे, का उदघाटन 25 मार्च, 1948 को हुआ। इस संघ का उदघाटन पं. जवाहर लाल नेहरू ने 18 अप्रैल, 1948 को किया। राजस्थान संघ की स्थापना के साथ ही बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर और जोधपुर जैसी बड़ी रियासतों के संघ में विलय और बृहत्तर राजस्थान के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया था। 30 मार्च, 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका विधिवत उदघाटन किया। मत्स्य संघ का बृहत्तर राजस्थान में 15 मई, 1949 को विलय किया गया।

राजस्थान निर्माण के अंतिम चरण में ही विधान मंडल की स्थापना की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई थी। यह प्रक्रिया वर्ष 1952 के प्रारम्भ तक चलती रही। जनवरी, 1950 में सिरोही राज्य का विभाजन करने और आबू तथा देलवाड़ा तहसीलों को बंबई प्रांत और शेष भाग को राजस्थान में मिलाने का निर्णय लिया गया जिसकी क्रियान्विति 7 फरवरी, 1950 को हुई। 1 नवम्बर, 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफ़ारिशों पर तत्कालीन अजमेर-मेरवाड़ा राज्य राजस्थान में विलीन कर दिया गया। साथ ही मध्य भारत के मंदसौर ज़िले की भानपुरा तहसील का सुनेल-टप्पा ग्राम तथा आबू और देलवाड़ा को पुन: राजस्थान में शामिल किया गया तथा झालावाड़ ज़िले का सिरोंज उप जिला नये मध्य भारत को स्थानांतरित कर दिया गया।

इस प्रकार वर्तमान राजस्थान के निर्माण की प्रक्रिया समाप्त हुई और 19 देशी रियासतों और तीन चीफशिप वाले क्षेत्रों की जनता एकतंत्र से मुक्त होकर लोकतंत्र की मुख्य धारा में सम्मिलित हुई।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 168 (1)(ख) एवं (2) के अनुसार राजस्थान विधान मंडल राज्यपाल एवं विधानसभा से मिलकर बना है। अनुच्छेद 172 के अंतर्गत राजस्थान विधान सभा का सामान्य कार्यकाल प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से पाँच वर्ष होता है। आम चुनावों के बाद राजस्थान में पहली विधान सभा का गठन 23 फरवरी, 1952 को हुआ और पहली बैठक 29 मार्च, 1952 को हुई। वर्ष 1952 में विधान सभा के सदस्यों की संख्या 160 थी। नवम्बर, 1956 में अजमेर विधान सभा के राजस्थान विधान सभा में सम्मिलित होने पर यह संख्या 190 हो गई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफ़ारिशों पर विधान सभा की सदस्य संख्या वर्ष 1957 में 176, वर्ष 1967 में 184 तथा वर्ष 1977 में 200 हो गई। वर्तमान में भी विधान सभा के सदस्यों की संख्या 200 ही है।

तेरहवीं राजस्थान विधान सभा का गठन 11 दिसम्बर, 2008 को हुआ है। इस विधान सभा में कुल 200 सदस्य हैं जिसमें से 34 सीटें अनुसूचित जाति हेतु तथा 25 सीटें अनुसूचित जन जाति हेतु सुरक्षित हैं। वर्ष 2008 में गठित तेरहवीं राजस्थान विधान सभा में 29 महिला सदस्य हैं।

विधान सभा का प्रमुख कार्य जनाकांक्षाओं की पूर्ति और जनता की समस्याओं पर चर्चा कर उसका समुचित हल निकालना है विधान सभा के कुछ प्रमुख कार्य निम्नानुसार है –

1. प्रश्नों, प्रस्तावों, संकल्पों और समितियों आदि के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना।
2. बजट भाषण पर सामान्य वाद-विवाद तथा अनुदान की माँगों पर कटौती प्रस्तावों तथा वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक पर चर्चा
3. विधेयकों का पारण।

राजस्थान विधान सभा का कार्य संचालन संविधान के अनुच्छेद 208(1) के अंतर्गत बनाये गये राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों, अध्यक्ष के निर्देशो तथा अध्यक्ष पद से दिये गये विनिर्णयों के आधार पर होता है।

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

विधान सभा सचिवालय माननीय अध्यक्ष को विधायी कार्यकलापों में सचिवालयी सहायता सुलभ कराने के साथ ही विधान सभा के सदस्यों को उनके संसदीय दायित्वों के निर्वहन में समयोचित सहायता तथा विविध प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहयोग किया जाता है। विधान सभा सचिवालय सदस्यों तथा पूर्व सदस्यों को दी जाने वाली साधन सुविधाओं का भी ध्यान रखता है।

माननीय अध्यक्ष तथा सदस्यों के संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन के लिए संविधान के प्रावधानों के अनुसार विधान सभा सचिवालय का गठन किया गया है। विधान सभा सचिवालय का कार्यालय समय अन्तः सत्र काल में **09.30 बजे से 06.00 बजे** तक होता है जबकि सत्रकाल में यह सदन की कार्यवाही की समाप्ति तक होता है। विधान सभा सचिवालय के कार्यों को संपादित करने के लिए कार्मिकों की नियुक्ति राजस्थान विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1992 के अनुसार की जाती है।

विधान सभा सचिवालय द्वारा प्रत्यक्ष में राज्य की किसी योजना की क्रियान्विति नहीं होती, अतः इसका जन-साधारण के साथ सीधा सम्बन्ध नहीं होता। विधान सभा सचिवालय का कार्य राज्य सरकार के अन्य विभागों तथा शासन सचिवालय के कार्यों से पूर्णतः भिन्न प्रकृति का होता है।

राजस्थान विधान सभा में 16 समितियां हैं, जो सदन के लघु रूप में कार्य करती हैं। इन समितियों में विषयों पर गम्भीरतापूर्वक विचार-विमर्श एवं चर्चा कर शासन का उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाता है।

विधान सभा के विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए अनेक विभिन्न शाखाओं का गठन किया गया है, जिनमें सदन शाखा, विधान शाखा, प्रश्न शाखा, सामान्य शाखा, पुस्तकालय, अन्वेषण एवं संदर्भ शाखा, सुरक्षा शाखा, संस्थापन शाखा, लेखा शाखा, स्टेशनरी, विद्युत तथा फर्नीचर स्टोर, सूचना कार्यालय, पत्र-वितरण एवं पत्र प्राप्ति शाखा सहित विधान सभा समितियों की शाखाएं हैं। विधान सभा सचिवालय विधान सभा के पूर्व सदस्यों को पेंशन एवं अन्य सुविधाओं सहित पुस्तकालय की सुविधा भी उपलब्ध कराता है।

बिन्दु संख्या 2 – अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्त्तव्य

विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा विधान सभा के सदन, माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष और माननीय सदस्यों के दायित्वों के निर्वहन में सहयोग किया जाता है।

विधान सभा सचिव को वे समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं, जो राज्य सरकार के सचिव को प्राप्त हैं। विधान सभा सचिवालय से सम्बन्धित नीतियों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के संदर्भ में सचिव सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। अतः वह इस सचिवालय से सम्बन्धित विभिन्न कार्यकलापों एवं नीतियों को कार्यान्वित करवाने में प्रधान सूत्रधार की भूमिका का निर्वहन करता है। विधान सभा सचिव के प्रमुख रूप से दो प्रकार के कार्य होते हैं। प्रथम, विधान सभा अध्यक्ष को विधान सभायी मामलों में नियमों एवं परम्पराओं के संदर्भ में उचित एवं सामयिक परामर्श देना तथा द्वितीय, विधान सभा सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में अध्यक्ष महोदय में निहित अधिकारों का प्रयोग करना।